



(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र)

फरवरी-मार्च, 2025 की कार्यसूची

(खण्ड-02)

दिनांक- 11 मार्च, 2025

माँग संख्या - 49

आय-व्ययक शीर्षक - जल संसाधन विभाग

20. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "जल संसाधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 7451,14,99,000/- (सात हजार चार सौ इक्यावन करोड़ चौदह लाख नित्यानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

21. श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2700, उप मुख्य शीर्ष-80 के लिए 505,06,37,000/- रुपये की माँग 2,00,00,000/- रुपये से घटाई जाय।

मितव्ययिता पर विचार-विमर्श करने के लिए।

- 22.-26. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक - लघु जल संसाधन विभाग

27. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "लघु जल संसाधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1839,11,36,000/- (एक हजार आठ सौ उनचालीस करोड़ ग्यारह लाख छत्तीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

28. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-24

आय-व्ययक शीर्षक - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

29. प्रभारी मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सूचना एवं जनसंपर्क विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 283,52,01,000/- (दो सौ तेरासी करोड़ बावन लाख एक हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

30. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक - सामान्य प्रशासन विभाग

31. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सामान्य प्रशासन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1246,22,86,000/- (एक हजार दो सौ छियालीस करोड़ बाईस लाख छियासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

32. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

33. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 548,87,90,000/- (पाँच सौ अड़तालीस करोड़ सतासी लाख नब्बे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

34. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2702,63,10,000/- (दो हजार सात सौ दो करोड़ तिरेसठ लाख दस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

35. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक - निर्वाचन विभाग

36. प्रभारी मंत्री, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "निर्वाचन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1189,43,76,000/- (एक हजार एक सौ नवासी करोड़ तैंतालीस लाख छिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक - निगरानी विभाग

37. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "निगरानी विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 48,67,23,000/- (अड़तालीस करोड़ सड़सठ लाख तैंस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ख्याति सिंह

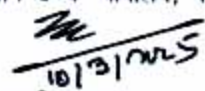
प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025- 530 /वि०स०, पटना, दिनांक- 10 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रीगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(असीम कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025- 530 /वि०स०, पटना, दिनांक- 10 मार्च, 2025 ई०।

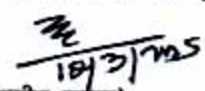
प्रति:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(असीम कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2025- 530 /वि०स०, पटना, दिनांक- 10 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(असीम कुमार)

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना।

उद्दिष्टांक
10.03.2025